या गया है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी कार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा सीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज नस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ओर अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी की ओर से वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो ग्रल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता ों होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी पांचाराम व वादी सुनिल के तुत किये व नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गेलोली के खाता संख्या 302 प्रदर्ष–1 राई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तेवादी संख्या 1 से 6 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की वश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को हराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने दपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो था साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद था प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा द का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ख्या 2 से 6 क्रमशः सरिता, सुमित्रा, सरोज, सुमन, सुनिता ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण स्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान गश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा ूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल के पास नमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार केया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सुनिल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 3.1646 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 पांचाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गेलोली के खेत खसरा नम्बर 1005/132 रकबा 2.1125 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 155 रकबा 1.3759 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 क्रमशः सरिता, सुमित्रा, सरोज, सुमन, सुनिता के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल– जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 10/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल– जिला नागौर

Scanned with CamScanner